96 (2) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.6) के अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति के संबंध में अनुदेश

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार विदेश में दौरे पर गए केन्द्र सरकार के अधिकारी विदेश मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार विभिन्न देशों में ड्यूटी पर दौरे के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते हैं। सामान्यतया इन अधिकारियों के रहने की व्यवस्था दौरे वाले देश में संबद्ध दूतावास/उच्चायोग द्वारा अनुमोदित होटलों में की जाती है, यह सुविधा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों को उपलब्ध नहीं हैं। इन अधिकारियों के वहां रूकने पर कमरे के किराए पर होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति विदेश मंत्रालय को संबद्ध मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अपने अनुमोदित विदेश यात्रा बजट से की जाती है। दैनिक भत्ते, जिसमें भोजन आदि पर होने वाला व्यय शामिल होता है, के संबंध में अधिकारियों को कोई हिसाब नहीं देना होता है।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों और दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाता है जो सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। इस समेकित राशि का उद्देश्य दैनिक भत्ता, होटल में ठहरने पर होने वाले व्यय और दूसरे आकस्मिक व्यय शामिल करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए दूतावासों द्वारा ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विदेश यात्रा पर होने वाले व्यय में मितव्ययता लाने का मुद्दा पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है।

4. अब यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा अनुमत समेकित राशि में कमरे का किराया, टैक्सी अतिथि सत्कार व्यय (यदि कोई हो) सरकारी टेलीफोन प्रभार और दूसरे आकस्मिक व्यय और दैनिक भत्ता शामिल होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को दौरे से लौटने पर सभी मदों के लिए हिसाब देना चाहिए, इसमें प्रत्येक देश के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित दैनिक भत्ते की दरें शामिल नहीं हैं, जिसमें सामान्यतया भोजन आदि पर होने वाला व्यय शामिल होता है। दौरे पर होने वाले संपूर्ण व्यय (दैनिक भत्ता को जोड़ने के पश्चात्) की गणना के पश्चात् बची शेष राशि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लौटा दी जाएगी।

5. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों बोर्डों में सरकार द्वारा नामित निदेशक विदेशी दौरा (व्यय विभाग के दिनांक 12.2.93 के का.ज्ञा. सं. 19045/1 ई.–IV/93 के अनुसार) और व्यय का हिसाब आदि देने संबंधी मामलों में सरकारी नियमों और प्रक्रियाताओं द्वारा विनियमित होंगे।

6. अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों की जानकारी में उपरोक्त दिशानिर्देश लाएं ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम के निदेशक मंडल द्वारा इन्हें लागू किया जा सके।

(डी पी ई 20 सितम्बर, 1995 का का.ज्ञा. सं. 2(41)93–डी पी ई (डब्ल्यू.सी.)

अनुबंध